

फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत नं० १५७ वेत १२ व ३५२१०३ अफिनाग / मुकाम रुपायन

शैल लाल वनाग माल नन्द

किस्म मुकदमा २१२२१-१५ नं० ०५ सन २०२३

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
13.2.2025	<p>शैल लाल उपायुक्त नरिये पञ्चम पेश करे।                  लीजे खजाने हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया                  पाकर कहर उपायुक्त अधिकता करी गई।                  स्वीकार में विवक्षा बस करार है कि शर्तना                  पत्र के नौम जेम्मा ०२ में पणित मार्याप्रियात के                  १२ रिस्ता शर्तनाग के पिता का व ५२ रिस्ता                  अत्राली के पिता का या। उक्त १२ रिस्ता शर्तनाग                  के पिता के अत्राली के पिता से २९.६.१९८७                  को स्वीकार कर केवरी के हर्षी ली से गया जेम्मे                  के हर्षी के पुनः अत्राली के ताल रूप हो                  गया। उक्त से नम्बर-५५ के वाह पत्र ३६/२००१                  के अनुसार सह तस्सुत किया गया जो निर्णय दिनांक                  १.१०.२००२ से स्वीकार हुआ। पञ्चु उक्त की                  पावना गयी हो पायी। व उक्त अधिक                  हो जाने से पुनः सह उक्त व शर्तनाग पत्र तस्सुत                  कि। शर्तनाग पत्र पणित मार्याप्रियात अत्राली                  जेम्मा ०१ के ताल रूप हो जाने से पुनः पुनः                  करने पर कलम है। उक्त: मार्याप्रियात                  से वापस लिये जाने का निवेदन किया।                  हमने उत्राली का अत्रालीन किया कि वह बस                  पर अतन किया। शर्तनाग पत्र के पणित वजो                  पर पुनः सह के कलम व उक्त जे मुगावशा                  पर निर्णय हुआ। तब उक्त शर्तनाग अत्राली                  अत्राली अत्राली व अत्राली अत्राली शर्तनाग                  के पत्र के गयी है। उक्त: पुनः सह ०५/२०२३                  के निर्णय उक्त मीमा अत्राली की अत्राली ५६                  के अत्राली के ५२ उक्त रिस्ते पर अत्राली अत्राली                  अत्राली की मया अत्राली वनाग के। अत्राली के                  अत्राली अत्राली से उक्त हो। अत्राली अत्राली गया।</p>	

संवेद्य कलम  
(उपयुक्त अधिकारी)  
कलम अत्राली अत्राली